

बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान की लाभांश

नामांकन हेतु सामूहिक बचत—श्रृंखला बीमा योजना, 1987

जब संस्थान के कर्मचारी का परिवार हो और एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करना चाहता हो। मेरा परिवार न होने के कारण मैं निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित करता हूँ और उसको/उनको अधिकार प्रदान करता हूँ कि मेरी मृत्यु उपरान्त अथवा सेवानिवृत्ति पर बीरबल साहनी पुरावनस्पतिविज्ञान संस्थान से स्वीकृत धनराशि जो बी.सा.पु.सं. सामूहिक बचत—श्रृंखला बीमा योजना से सम्बद्ध है, प्राप्त कर सकता/सकते हैं।

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|----------------------------|--|--|
| नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम और पता | संस्थान के कर्मचारी से संबंध | आयु | *प्रत्येक को देय हिस्सा | आकस्मिक घटनायें जिसमें नामांकन लागू नहीं होगा | नाम, पता और व्यक्ति से संबंध यदि कोई हो, जिसको संस्थान के कर्मचारी की पूर्वमृत घटना पर नामित व्यक्ति का अधिकार होगा |
|---|------------------------------------|-----|----------------------------|--|--|

1-

2-

3-

4-

5-

दिनांक

दिन

का

19

पर

दो गवाहों के हस्ताक्षर :

1

2

कर्मचारी के हस्ताक्षर

1. कर्मचारी को अन्तिम लाइन के नीचे क्रास लाइन खींचनी चाहिए ताकि हस्ताक्षर करने के बाद कोई दूसरा नाम न लिख सकें।
2. इस कालम में बीमा योजना के अन्तर्गत कुल राशि को भुगतान किये जाने वाले का व्यौरा भरें।
3. संस्थान का वह कर्मचारी जिसका परिवार नहीं है यह सुरक्षित करें कि मेरा परिवार होने पर उक्त नामांकन स्वतः रद्द हो जायेगा।